संख्या– 1525 / क0नि0प्र0 / 26–3–12–7(1) / 07

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।

समाज कल्याण विभाग (कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ) लखनऊः दिनॉक : 12 दिसम्बर, 2012

विषयः प्रदेश में इनसेनेटरी लैट्रिन्स तथा उनमें कार्यरत स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों के सर्वेक्षण/चिन्हींकरण तथा सूची तैयार करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–1080 / क0नि0प्र0 / 26–3–12–7(1) /07 टीसी दिनांक 28 अगस्त,2012 का सन्दर्भ लेने का कष्ट करें जिसके द्वारा मैनुअल स्कैवेंजरों के सर्वेक्षण/चिन्हीकरण के सम्बन्ध में आदेश निर्गत किये गये थे। भारत सरकार द्वारा कराये गये **House listing/House Census 2011** की जनगणना के आधार पर प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 5.6 लाख **Insanitary latrines** की संख्या उत्तर प्रदेश राज्य में बतायी गयी है। यह संख्या पूरे प्रदेश की है जिसमें 22 जनपद ऐसे बताये गये हैं जिनमें **Insanitary latrines** की संख्या 5 हजार से अधिक है। ये जनपद – मुरादाबाद, बदायूँ, मेरठ, बरेली, रामपुर, बिजनौर, मु0नगर, शाहजहांपुर, गाजियाबाद, बुलंदशहर, सहारनपुर, हरदोई, अमरोहा, आगरा, अलीगढ़, फर्रूखाबाद, कानपुर शहर, मथुरा, लखनऊ, पीलीभीत, कासगंज तथा इलाहाबाद है। अब तक प्रदेश में किये गये कार्यों की समीक्षा में पाया गया कि सर्वेक्षण/चिन्हीकरण का कार्य अपूर्ण है। अतः यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य में **Insanitary latrines** तथा उसमें कार्यरत स्वच्छकारों और उनके आश्रितों का पुनः विस्तृत सर्वेक्षण तथा चिन्हीकरण कराया जाय और पूरी सूची तैयार की जाय। जनगणना 2011 की सूचना के आधार पर सूडा द्वारा नगरीय क्षेत्रों में **Insanitary latrines** के संबंध में विवरण पुस्तिका भी तैयार कर दी गयी है। वर्तमान में मा0 उच्चतम् न्यायालय में रिट याचिका संख्या (सी) 583/2003 सफाई कर्मचारी आन्दोलन व अन्य बनाम यूनियन आफ इण्डिया व

अन्य लम्बित है। राज्य सरकार इस समस्या के प्रभावी समाधान के लिए कटिबद्ध है। अतः इस समस्या के समाधान के लिए निम्न कार्यवाही तत्काल करायी जाय। सन्दर्भित 22 जनपदों सहित प्रदेश के सभी जनपदों के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इनसेनेटरी लैट्रिन्स तथा उनमें कार्यरत स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों की शत प्रतिशत सर्वेक्षण/चिन्हींकरण तथा सूची बनाने का कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जाये।

1. प्रदेश के नगरीय/शहरी क्षेत्रों में इनसेनेटरी लैट्रिन्स तथा उनमें कार्यरत स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों के सर्वेक्षण/चिन्हींकरण का कार्य युद्धस्तर पर पूरा किया जाये और उसकी पूरा विवरण/सूची तैयार की जाये। जनगणना 2011 में प्रकाशित सूचनाओं का भी वेरीफिकेशन किया जाये। यह कार्यवाही नगर विकास विभाग द्वारा पूर्ण की जाये जिसमें सूडा तथा स्थानीय निकायों से सहायता ली जाये। यह कार्य विलम्बतम् 02 माह के अन्दर अवश्य पूरा कर लिया जाये। इसके लिए सूचनाएं निर्धारित प्रारूप– I एवं प्रारूप– II पर तैयार की जायें।

2. इसी प्रकार पूरे प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में इनसेनेटरी लैट्रिन्स तथा स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों के सर्वेक्षण/चिन्हींकरण का कार्य पूरा करते हुए उसका पूर्ण विवरण/सूची बनाने का कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा विलम्बतम् 02 माह के अन्दर अवश्य पूरा किया जाये। सर्वेक्षण/चिन्हींकरण करते हुए सूची संलग्न निर्धारित प्रारूप– III एवं IV पर तैयार की जाये।

3. सर्वेक्षण/चिन्हींकरण की नगर विकास विकास विभाग तथा पंचायती राज विभाग द्वारा जो सूची तैयार करायी जाय उसे जनता के लिए प्रकाशित कराया जाये तथा संबंधित विभागों की वेबसाइट पर भी ये सूचनाएं प्रदर्शित की जायें। एन0जी0ओ0/सिविल सोसाइटीज तथा जनता से सुझाव/कमेन्टस् इस आशय से आमंत्रित किये जांय कि सर्वेक्षित सूची में अगर कोई मामला सम्मिलित होने से रह गया है तो उसकी पूर्ण सूचना उपलब्ध करायी जाय ताकि सर्वेक्षण/चिन्हीकरण के उपरान्त अंतिम रूप से सूची तैयार करते समय कोई भी इनसेनेटरी लैट्रिन्स तथा स्वच्छकार एवं उनके आश्रित सूची में सम्मिलित होने से वंचित न रह जांय। यह कार्यवाही उसके अगले एक माह में अवश्य पूरी कर ली जाय। इस प्रकार 03 माह में पूरी प्रकिया पूर्ण कर कम्पलीट लिस्ट अवश्य बना ली जाय।

4. प्रदेश के नगरीय/शहरी क्षेत्रों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में नगर विकास विभाग तथा पंचायतीराज विभाग द्वारा सर्वेक्षण/चिन्हींकरण के उपरान्त स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों की सूची सीधे समाज कल्याण विभाग तथा उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम को उपलब्ध करायी जायेगी जिससे स्वच्छकारों और उनके आश्रितों के पुनर्वासन के सम्बन्ध में तत्काल कार्यवाही की जा सके।

आशा है कि आपके कुशल नेतृत्व एवं सहयोग से उपरोक्तानुसार समस्त कार्यवाही समयबद्ध रूप से पूर्ण कर लिया जायेगा।

संलग्नकः– यथोक्त।

भवदीय,

(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– 1525(1)/क0नि0प्र0/26–3–12–7(1)/07 तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रमुख सचिव, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0 शासनं
5. निदेशक स्थानीय निकाय, उ0प्र0।
6. निदेशक, राज्य नगरीय विकास अभिकरण(सूडा), उ0प्र0।
7. निदेशक, पंचायती राज विभाग, उ0प्र0।
8. निदेशक, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0।
9. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम।

आज्ञा से,

(सदाकान्त)
प्रमुख सचिव।

प्रारूप संख्या–I

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) उ0प्र0

मैनुअल स्केवेन्जर्स के विवरण हेतु प्रारूप

जनपद का नाम– निकाय/नगर का नाम– वार्ड नम्बर / मोहल्ला

क0सं0	मैनुअल स्केवेन्जर्स (स्वच्छकार) का नाम	पिता/पति का नाम	आयु	पुरूष/महिला	पूरा पता	कितने समय से मैला ढोने के कार्य में संलिप्त है (वर्ष में)	नगर/निकाय के किस वार्ड /मोहल्ले में मैला ढोने का कार्य कर रहे है	बी0पी0एल0 कार्ड धारक है अथवा नहीं	पक्के मकान की स्थिति हॉ/नही	पुनर्वास हेतु विकल्प	अन्य जानकारी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

सर्वे की तिथि

सर्वे कर्ता के हस्ताक्षर
सर्वे कर्ता का नाम एवं पदनाम –

पर्येवेक्षक के हस्ताक्षर
पर्येवेक्षक का नाम एवं पदनाम –

हस्ताक्षर परियोजना अधिकारी,डूडा

हस्ताक्षर परियोजना निदेशक,डूडा

प्रारूप संख्या–II

राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा) उ0प्र0

नगरीय क्षेत्रों के मकानों के शौचालयों हेतु सर्वे प्रपत्र

जनपद का नाम– निकाय/नगर का नाम– वार्ड नं0/मोहल्ला

क0सं0	मोहल्ले का नाम	मकान नं0	मुखिया/उत्तरदाता का नाम	मकान में शौचालय है अथवा नही	यदि है तो, शौचालय का प्रकार				यदि नही है तो,	
					कमाऊ	बहाऊ (खुली नाली में)	जल प्रवाहित/सेप्टिक टेंक	अन्य प्रकार स्पष्ट उल्लेख करें	खुले में	सामुदायिक शौचालय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

सर्वे की तिथि

सर्वे कर्ता के हस्ताक्षर

पर्यवेक्षक के हस्ताक्षर

सर्वे कर्ता का नाम एवं पदनाम –

पर्यवेक्षक का नाम एवं पदनाम –

हस्ताक्षर परियोजना अधिकारी, डूडा

हस्ताक्षर परियोजना निदेशक, डूडा

प्रारूप-3

शुष्क शौचालय स्वच्छकार सर्वेक्षण–

क्रमां	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम /मजरे का नाम	स्वच्छकार का नाम	पिता/पति का नाम	महिला/ पुरुष	शुष्क शौचालय की संख्या, जिसे वह साफ करता है।	स्वयं स्वच्छकार एवं परिवार में अन्य सदस्यों का जीविकोपार्जन का साधन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

हस्ताक्षर
जिला पंचायत राज अधिकारी
जनपद– ___

प्रारूप - 4

शुष्क शौचालयों सर्वे हेतु निर्धारित प्रारूप-1

क्र. सं.	जनपद का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम पंचायत का नाम	राजस्व ग्राम /मजरे का नाम	शुष्क शौचालय प्रयोग करने वाले परिवार के मुखिया का नाम				मैनुअल स्कैवन्जर का विवरण			सर्वेकर्ता का नाम	सर्वे तिथि	शुष्क शौचालय को जल प्रवाहित शौचालय में परिवर्तित करने की स्थिति एवं क्रियाशीलता की तिथि	प्रयोगकर्ता को किस योजना के अन्तर्गत आच्छादित किया गया जैसे टी०एस०सी०/ एन०बी०ए०/ स्वयं वित्त पोषित
									कार्यरत स्वच्छकार का नाम	पिता/ पति का नाम	निवास स्थान				
1	2	3	4		5				6			7	8	9	10
			(A)	(B)	(A) बी.पी.एल.	(B) ए.पी.एल. अनुदानित	(C) ए.पी.एल. गैर अनुदानित	योग (A+B+C)	(A)	(B)	(C)				

हस्ताक्षर

जिला पंचायत राज अधिकारी

जनपद– ___

उत्तर प्रदेश शासन,
कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ
समाज कल्याण विभाग

संख्या–430 / क0नि0प्र0 / 26–3–2013–7(01) / 2007
लखनऊः दिनांकः 26 अप्रैल, 2013

कार्यालय–ज्ञाप

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा यह निर्देशित किया गया है कि हाउस लिस्टिंग एवं हाउस सेन्सस–2011 के आधार पर प्रदेश के 613 स्टेट्यूटरी टाउन्स में इनसेनेटरी लैट्रिन्स तथा उनमें कार्यरत स्वच्छकारों एवं उनके आश्रितों के सर्वेक्षण / चिन्हींकरण का कार्य समयबद्ध रूप से सम्पन्न किया जाय। इस कार्य को सुचारू रूप से निर्धारित समय सीमा के अन्दर सुनिश्चित कराने हेतु की जा रही कार्यवाही की नियमित समीक्षा किए जाने की दृष्टि से राज्य स्तर पर निम्नलिखित मानीटरिंग कमेटी का गठन किया जाता है:–

1– मुख्य सचिव	अध्यक्ष
2– प्रमुख सचिव,समाज कल्याण	सदस्य
3– प्रमुख सचिव, पंचायतीराज विभाग	सदस्य
4– निदेशक,स्थानीय निकाय	सदस्य
5– निदेशक,सूडा	सदस्य
6– निदेशक,पंचायतीराज विभाग	सदस्य
7– निदेशक,समाज कल्याण	सदस्य
8– प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0	सदस्य
9– निदेशक, राज्य सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0)	सदस्य
10–प्रमुख सचिव, नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग (सूडा)	सदस्य / सचिव

2– उक्त समिति द्वारा शासनादेश संख्या–1525 / क0नि0प्र0 / 26–3–12–7 (01) / 2007 दिनांक 12 दिसम्बर,2012 में उल्लिखित दिशा निर्देशानुसार प्रदेश के 613 स्टेट्यूटरी टाउन्स में सर्वेक्षण / चिन्हीकरण की कार्यवाही की नियमित रूप से समीक्षा की जायेगी।

3– सर्वेक्षण एवं चिन्हींकरण का कार्य सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली के पत्र संख्या–19014 / 04 / 2013 एससीडी–4 दिनांक 22–02–2013 द्वारा सर्वेक्षण के सम्बन्ध में निर्धारित गाइड लाइन, सर्वे प्रक्रिया तथा संचालन सम्बन्धी दिशा

lewUO

निर्देश के अनुरूप जिला स्तरीय/टाउन स्तरीय समस्त कार्यवाही निर्धारित समय सीमा के अन्तर्गत नगर विकास/सूडा द्वारा पूर्ण करायी जायेगी।

4— उक्त समिति द्वारा सर्वेक्षण/चिन्हींकरण के प्रभावी अनुश्रवण हेतु प्रत्येक माह राज्य स्तरीय मानीटरिंग समिति की बैठक सदस्य सचिव नगर विकास एवं नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन विभाग (सूडा) द्वारा आयोजित कराई जायेगी

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

पृ0संख्या— 430 (1)/क0नि0प्र0/26—3—2013 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— प्रमुख सचिव, नगर विकास/सूडा ,उ0प्र0 शासन।
2— प्रमुख सचिव पंचायतीराज, उ0प्र0 शासन।
3— निदेशक,राज्य नगरीय विकास अभिकरण (सूडा), नव चेतना केन्द्र, लखनऊ।
4— निदेशक, स्थानीय निकाय, इन्दिरा भवन, लखनऊ।
5— निदेशक, पंचायतीराज, लखनऊ।
6— निदेशक, समाज कल्याण,लखनऊ।
6— निदेशक, राज्य सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) योजना भवन, लखनऊ।
7— प्रबन्ध निदेशक,उ0प्र0अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि0,महानगर,लखनऊ।

आज्ञा से,

(के0राम मोहन राव)
सचिव।